न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी :– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

प्रार्थना पत्र संख्या 34/2020

उनवान

सुभाष बनाम भगवान सिंह वगै0

1. सुभाष पुत्र श्री शिशपाल उम्र 56 वर्ष जाति जाट पेशा खेती निवासी चूड़ी चतरपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू।

–आवेदक

बनाम

1. भगवान सिंह पुत्र नत्थुसिंह जाति राजपूत पेशा खेती निवासी चूड़ी चतरपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
2. गोपाल सिंह पुत्र नत्थुसिंह जाति राजपूत पेशा खेती निवासी चूड़ी चतरपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
3. श्रवण सिंह पुत्र नत्थुसिंह जाति राजपूत पेशा खेती निवासी चूड़ी चतरपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैंड होल्डर जरिये तहसीलदार झुन्झुनू।
5. बैंक ऑफ बडौदा शाखा चुड़ी चतरपुरा जरिये मैनेजिंग डाईरेक्टर बैंक ऑफ बडौदा शाखा चुड़ी चतरपुरा।

–अनावेदकगण

उपस्थित अधिवक्ताः–

1. **श्री महिपाल कपूरिया :– आवेदक की ओर से।**
2. **श्री अशोक कुमार :– अनावेदक संख्या 2 की ओर से।**
3. **श्री श्रवण कुमार सैनी :– राज्य सरकार की ओर से।**

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए

निर्णय **दिनांक : 18.08.2021**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी सुभाष की खातेदारी काश्त की आराजी अन्य आराजीयात के अलावा खेत हाल खसरा नम्बर 1092/126 रकबा 0.800 है. बारानी अव्वल वाके ग्राम चुड़ी चतरपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू में स्थित है। उक्त आराजीयात में कदीम से आवागमन हेतु कटानी रास्ता आम खसरा नम्बर 132 से फटकर खसरा नम्बर 131 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे खसरा नम्बर 129 की भूमि में पूर्व की तरफ चलकर फिर उक्त खसरा नम्बर 128 में प्रवेश कर इस खसरा नम्बर 128 की भूमि से इसकी पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे चलकर उत्तर की तरफ गुजर कर प्रार्थी की खातेदारी काश्त के उक्त खेत खसरा नम्बर 1092/126 के दक्षिणि हिस्से में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता मौके पर 15 फीट की चौड़ाई का है। उक्त खेत खसरा नम्बर 1092/126 प्रार्थी का जर नगद खरीद का है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त खेत खसरा नम्बर 128 के दिनांक 17.06.2020 को चारो सीमाओं में तारबंदी कर ली और पश्चिम सीमा के सहारे सहारे रास्ते की भूमि पर करीब 12 फीट की चौड़ाई मे अतिक्रमण पर रास्ते की चौड़ाई मात्र 2 व 3 फीट की छोड़ी है और रास्ते को पूर्ण

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

रूप से संकड़ा कर लिया है। अप्रार्थीगण 2 व 3 खसरा नम्बर 129 उक्त रास्ते की 15 फीट चौड़ाई की भूमि देने को तैयार हैं व मौके पर भी दे रखा है। अप्रार्थी संख्या 1 मौके पर काश्त नहीं करता है हालांकि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 भी संयुक्त खातेदार काश्तकार है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में दर्ज आराजियात के तथ्यों बाबत व प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता संलग्न नजरी नक्शे में दर्ज द्वारा नीला रंग व अक्षर अ, ब, स, द को वाके ग्राम चुड़ी चतरपुरा के आम रास्ता कटानी खसरा नम्बर 132 की भूमि से फटकर खसरा नम्बर 131 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे खसरा नम्बर 129 की भूमि में पूर्वी तरफ चलकर फिर खसरा नम्बर 129 में पशिचिमी सीमा के सहारे सहारे उतर की तरफ चलकर व फिर खसरा नम्बर 128 में प्रवेश कर उसके पश्चिम सीमा के सहारे सहारे उतर की तरफ चलकर 15 फीट चौडाई का रास्ता खेत खसरा नम्बर 1092/126 की दक्षिणी सीमा में प्रवेश करता है व उक्त चाहा गया रास्ता व उपरोक्त आराजीयात वाके ग्राम चुड़ी चतरपुरा की भूमि की तहसीलदार झुन्झुनू से मौके की रिपोर्ट मंगवाई जाकर निर्धारित दुगुनी डीएलसी दर पर नियत कीमत प्रार्थी सुभाष से उसके खेत खसरा नम्बर 1092/126 की भूमि तक आवागमन हेतु प्रार्थी को रास्ता दिया जाना फरमावें और जो भूमि प्रार्थी को रास्ते के रूप में दी जाती है उसका अंकन राजस्व रिकार्ड में रास्ते की भूमी दर्ज किया जाना फरमावें तथा अगर अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 3 उक्त चाहा गया रास्ता द्वारा नीला रंग व अक्षर अ, ब, स,ब द की भूमि के बदले भूमि लेना चाहे तो प्रार्थी अपने उक्त खेत खसरा नम्बर 1092/126 की भूमि देने को तैयार है और भूमि दे दी जावे।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सेक्शन 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अनावेदक सं. 2 के द्वारा दिनांक 04.08.2020 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को मंजूर फरमाया जाकर प्रार्थी द्वारा चाही गई सिद्धि अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिये जाने एवं राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन किये जाने से अप्रार्थी सं. 2 को कोई आपत्ति नहीं होने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया। अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर उनकी जवाबदेही बन्द की गई व अप्रार्थी सं. 3 व 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 4 द्वारा मौका रिपोर्ट पत्रांक 251(क)/2021/594 दिनांक 17/2/2021 से मय नजरी नक्शे के पेश की गई। दिनांक 10.08.2021 को प्रार्थना पत्र 251(ए) पर बहस सुनी गई। हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251(ए) तथा जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 2 में दर्ज तथ्यों व प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तहसीलदार में वर्णित तथ्यों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। वहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। प्रार्थी (आवेदक) को अपनी खातेदारी भूमि खेत ख.नं. 1092/126 रकबा 0.8000 है0 में आने जाने हेतु मुताबिक राजस्व रिकार्ड कटानी रास्ता नहीं है। प्रार्थी सुभाष अपने उक्त खेत ख.नं. 1092/126 में आवागमन हेतु नजरी नक्शे में प्रदर्शित ख.नं. 129 व 128 में रेखांकित बिन्दु ए से बी व सी से डी के अनुसार उपभोग व उपयोग में शांति पूर्वक बिना किसी रूकावट के आता जाता रहा है। उक्त रास्ता मौके पर शुरू से ही 15 फीट चौड़ाई का है। उक्त खेत ख.नं. 1092/126 वाके ग्राम चूड़ी चतरपुरा प्रार्थी का जर खरीद नगद का है जो जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदा है। अब अप्रार्थी सं. 2 व 3 गोपाल व श्रवण सह खातेदार है। उक्त अप्रार्थी सं. 1 भगवान सिंह उक्त खेत ख.नं. 128 के दिनांक 17.06.2020 को चारों तरफ तारबंदी कर ली है। और पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे रास्ते की भूमि पर करीब 12 फीट की चौड़ाई में अतिक्रमण कर रास्ते की चौड़ाई मात्र करीब 2 व 3 फीट छोड़ी है। उक्त सभी तथ्यों के दृष्टिगत आवेदक के खेत ख.नं. 1092/126 में आने जाने हेतु मुताबिक राजस्व रिकार्ड कटानी रास्ता नहीं है। उक्त खातेदार जो रास्ता चाहते है वह प्रचलित रास्ता है जिसे मौके पर बन्द करना जाहिर है। प्रस्तुत रिपोर्ट मौका तहसीलदार से प्रार्थी आवेदक को रास्ते की आवश्यकता है जो बिन्दु ए से बी व सी से डी तक रास्ता कटानी

नहीं है। किन्तु मौके पर 15 फीट चौड़ा आज दिनांक चालू होना एवं खाली होना एवं इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट है ऐसी स्थिति में राज्य सरकार से प्राप्त समय समय पर परिपत्रों के परिपेक्ष्य में प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अ. धारा 251(ए) स्वीकार किया जाना उचित एंव न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अ. धारा 251(ए) स्वीकार किया जाकर ग्राम चूड़ी चतरपुरा के ख.नं. 129 व 128 में से नजरी नक्शें में दर्ज लम्बाई कुल 262 मीटर व चौड़ाई 15 फुट बिन्दु सं. ए से बी, बी से सी व सी से डी के अनुसार रास्ता इस शर्त पर रिकार्ड में दर्ज करने तथा चालू करवाने का आदेश दिया जाता है कि आवेदक (प्रार्थी) 7 दिवस के अन्दर अनावेदकगण 1 लगायत 3 को रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि जो 1198 वर्गमीटर होती है की डी.एल. सी. दर (कृषि भूमि की अधिकतम दर की दुगुनी दर) की मुआवजा राशि 36574 रू का भुगतान खातेदारों को किया जाकर रसीद तहसीलदार झुन्झुनूं के यहां प्रस्तुत करें। तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का नजरी नक्शा आदेश का भाग रहेगा। यदि अनावेदकगण राशि लेने से इन्कार करे तो उस स्थिति में यह राशि बतौर अमानत तहसील कार्यालय झुन्झुनूं में जमा करवाई जावे। रास्ते की भूमि में अन्य कोई पेड़ या अवरोध हो तो अनावेदकगण 1 लगायत 3 अपने स्वयं के खर्चे पर उन्हें हटा लेवे अन्यथा तहसीलदार झुन्झुनूं उन्हें अपनी देख रेख में हटवाकर उन्हें नियमानुसार निलाम कर राशि का भुगतान (खर्चा काटकर) अनावेदकगण 1 लगायत 3 को करे व उनके द्वारा नहीं लेने की स्थिति में बतौर अमानत तहसीलदार कार्यालय में जमा करे। तत्पश्चात रिकार्ड में रास्ता दर्ज कर मौके पर चालू करवाने की कार्यवाही करे। आदेश की पालना में तहरीर जारी हो। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दर्ज पंजिका से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18.08.2021 को मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू